न्यायालय–अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी, जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी– **हिमानी जैन (आर.जे.एस.)**

विविध जमानत प्रार्थना पत्र / सीआईएस नंबर :– 103 / 2026

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 140 / 2025, थाना मेहाड़ा

CNR No.- RJJH070015542026

बजरंग सिंह पुत्र बिरजू सिंह राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी गुजरवाला, गोविन्ददास पुरा, तन त्योंदा, पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुंझुनूं (राज.)

....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

जमानत प्रार्थना पत्र धारा 480 बीएनएसएस
अन्तर्गत धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 338 बीएनएस

उपस्थितः–

1. श्री कृष्ण कुमार – अभियोजन अधिकारी।
2. श्री ख्यालीराम सैनी – अधिवक्ता परिवादी की ओर से।
3. श्री रोहित पोषवाल – अधिवक्ता प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।

–:: आदेश ::– **दिनांक 09 जुलाई, 2026**

1. इस आदेश के द्वारा अभियुक्त की ओर से पेश जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 480 बी.एन.एस. का निस्तारण किया जा रहा है जिसकी नकल अभियोजन अधिकारी को दिलवाई गई। जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्षों को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया।
2. बहस के दौरान अधिवक्ता अभियुक्त / प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी / अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। उससे किसी प्रकार की बरामदगी तथा अनुसंधान शेष नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित धारा नाकाबिले जमानत है, परंतु जमानत दी जा सकती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट को देखने से ही प्रार्थी के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं है। किसी स्वतंत्र साक्षी ने अपराध के संबंध में कथन अभिव्यक्त नहीं किया है। प्रार्थी / अभियुक्त की उसके गांव में चल व अचल संपत्ति मौजूद है। अतः उसके फरार होने का अंदेशा नहीं है। प्रार्थी / अभियुक्त अपने घर

में अकेला कमाने वाला है। अतः उसके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवाद पर फर्क पड़ेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

3. इसके विपरीत विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अधिवक्ता परिवादी ने अपराध की गंभीरता के संबंध में कथन करते हुए जमानत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया।

4. केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.08.2025 को परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री मूल सिंह द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त बजरंग सिंह तथा अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का पेश किया गया कि परिवादीगण ग्राम गोविन्दपुरा तन् त्योन्दा, पुलिस थाना मेहाड़ा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं (राज.) के स्थाई निवासी है तथा परिवादीगण की गाँव में संयुक्त खातेदारी भूमि है, जो दादालाई भूमि है। जिसका खाता सं. 207 जिसका रकबा 1.2800 है० है, जिसमें तीन खसरे तथा दूसरी भूमि खाता सं. 41 जिसका रकबा 3.2400–है० है, जिसमें 11 खसरे है, जिनको संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्से में वह काबिज काश्त करते आ रहे है। ये उक्त भूमि में सगे भाई खातेदार है, जिसमें रुडमल सिंह, बिगत सिंह, श्योनाथ सिंह, रामसुखा व गाइ सिंह जिसमें मात्र श्योनाथ शादीशुदा थे, अन्य भाई अविवाहित ही फौत हो गये थे। जिनमें श्योनाथ सिंह की भी मृत्यु हो चुकी है। श्योनाथ सिंह के चार पुत्र सन्ताने थी, बिरजू सिंह, दयाल सिंह, छोटू सिंह और मूल सिंह है। बिरजु सिंह की मृत्यु दिनांक 24/10/2007 को हो गई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 05/11/2007 को ग्राम पंचायत त्योन्दा के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें बिरजू सिंह के पिता का नाम श्योनाथ सिंह है, जो सही व सत्य है। जबकि पूर्व में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद कुटरचित व फर्जी तरिके से हमारी पुश्तेनी कृषि भूमि को धोखे से हड़पने की नियत से ग्राम सेवक व पटवारी से जालसाझी करके हमारी पुश्तैनी भूमि को हड़पने के लिए फर्जी व कुटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र बिरजू सिंह का दिनांक 11/02/2016 को बिरजू सिंह पुत्र बिगत के नाम से जारी करवाया। इसके आधार पर बिरजू सिंह को बिगत सिंह का पुत्र बताया, जबकि बिगत सिंह कंवारा व नाऔलाद ही फौत हो गया था। उक्त फर्जी व कुटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर अभियुक्तगणों ने मिलकर दिनांक 31/05/2005 को विरासत के रूप में फर्जी तरिके से नामान्तरण की कार्यवाही की जिसमें बिगत सिंह की भूमि को उनके वारिसों का हक हड़पने के लिए उनके

बिना सहमति से तथा गुप्त रूप से इन्तकाल की कार्यवाही की जिसमें पटवारी हल्का व ग्राम सेवक से मिली भगत कर फर्जी रूप से इन्तकाल की कार्यवाही करने लगे, जब उन्होंने भूमि की जमाबन्दी निकलवायी, तब उन्हें इस बात का पता चला। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में भी इस प्रकार का फर्जी तरिके से इन्तकाल दर्ज करवाने की कोशिश की गई थी, जो खारिज किया गया था, जिसकी जमाबन्दी पटवारी द्वारा जारी दिनांक 01/09/2008 की है, जो संलग्न है। जिसमें इन्तकाल खारीज किया गया हैं। इस प्रकार से अभियुक्तगण के द्वारा जानकारी होते हुये भी तथा बेईमानी व फर्जी व कुटरचित के दस्तोवज के आधार पर पुनः उनकी पुश्तैनी कृषि भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार कर नामान्तकरण की कार्यवाही की गई। बिरजू सिंह के सभी दस्तोवजों में बैंक पास बुक, पुरानी जमाबन्दी, विद्युत बिल आदि में बिरजू सिंह पुत्र श्योनाथ ही है तथा जमाबन्दी में राजस्व विभाग की गलती का फायदा उठाकर तथा हल्का पटवारी व ग्राम सेवक से जालसाझी कर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर बिगत सिंह का फर्जी पुत्र बनकर हमारे हिस्से की भूमि को हड़पने के लिए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर इन्तकाल दर्ज करवाने की कार्यवाही की गई। आदि पर पुलिस थाना मेहाड़ा द्वारा एफआईआर संख्या 140/2025 अंतर्गत धारा 318(4), 336(2), 336(3), 61(2), 338 बीएनएस, 2023 दर्ज की गई। प्रकरण में अभियुक्त बजरंग सिंह को दिनांक 08.07.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जिसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

5. सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी ने प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 338 बीएनएस, 2023 का आरोप प्रमाणित माना है। प्रार्थी/अभियुक्त पर बिरजू सिंह के विरुद्ध फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र को आधार बनाकर भूमि खाता संख्या 207 व 41 ग्राम गोविन्ददासपुरा, तन त्योंदा को स्वयं व अपने वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए झूठा शपथ–पत्र, झूठा प्रमाण पत्र आदि आरोप हैं।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण **S.B. Criminal Misc. Bail Application No. 13513/2020** जुगल बनाम राज0 राज्य में पारित आदेश दिनांक 25.11.2020 में दिए गए निर्देशानुसार पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त बजरंग सिंह पुत्र बिरजू सिंह का पूर्व आपराधिक

रिकार्ड शून्य है, परंतु अभियुक्त/प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा उसके विरुद्ध धारा 338 बीएनएस का भी अपराध प्रमाणित माना गया है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

7. अतः अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 336(2), 336(3), 340(2), 338 बीएनएस, 2023 की गम्भीरता एवं प्रकरण के अन्य तथ्यों के मद्देनजर गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है।
8. अतः प्रार्थी/अभियुक्त बजरंग सिंह पुत्र बिरजू सिंह राजपूत, उम्र 53 वर्ष, निवासी गुजरवाला, गोविन्ददासपुरा, तन त्योंदा, पुलिस थाना मेहाड़ा, जिला झुंझुनूं (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।
9. आदेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क दी जावे। उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (Criminal) No 4/2021 IN RE Policy Strategy For Grant Of Bail में पारित आदेश दिनांक 31.03.2023 की पालना में मूल को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई–मेल उपकारागृह, खेतड़ी को प्रेषित की जावे।

(**हिमानी जैन**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

10. आदेश आज दिनांक 09/07/2026 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(**हिमानी जैन**)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
खेतड़ी जिला झुन्झुनू।